

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 1069. (अनु०)

दिनांक 30/05/2025

प्रेषक,

ई० अवधेश कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्र०, दरभंगा-2

सेवा में,

सचिव-सह-सशक्त पदाधिकारी,
ब्राडा-सह-अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक पदा०,
बिहार, पटना।

विषय:- विभागीय रूप से पूर्ण कराये गये पथों का राशि की अधियाचना के संबंध में।

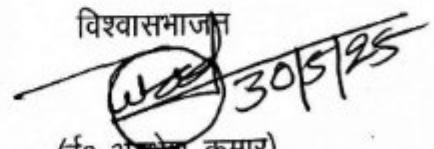
प्रसंग:- (1) जिला पदाधिकारी, दरभंगा के प पत्रांक-6491 दिनांक-12.12.2024, पत्रांक-6573 दिनांक-14.12.2024 एवं ज्ञापांक-37/सी० दिनांक-03.01.2025
(2) विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 पार्ट-01-568 /पटना, दिनांक-17.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वर्ष 2024-25 में माननीय मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा को मद्देनजर रखते हुए तथा जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा तत्काल पथों का निर्माण करने हेतु निदेशित किये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में विभागीय रूप से कराये गये निर्माण कार्य का राशि की माँग हेतु अधियाचना अंकित मापीपुस्त के अनुसार विहित प्रपत्र में तैयार कर समर्पित की जा रही है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि मो० - 92.08085 लाख (कुल बेरान्चे लाख आठ हजार पचासी रुपये) मात्र रुपये का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि संवेदकों को भुगतान किया जा सके।
अनु०:-विहित प्रपत्र संलग्न।

विश्वासभाजत



(ई० अवधेश कुमार)
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

2
30.5.25

कार्य प्रमण्डल का नाम:-ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

विभागीय रूप से निर्माण कराये गये पथों में अधियाचना प्रपत्र।

विभागीय रूप से निर्माण कराये गये पथों में आध्यायचना प्रपत्र 1													
क्र०	योजना का नाम	विभागीय आदेश	विभागीय रूप से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि०मी०)	प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार			विभागीय रूप से कराये गये कार्य की राशि (लाख में)			कार्य पूर्ण करने की तिथि	अधियाचित राशि (लाख में)	कार्य की मौलिक स्थिति	अनुवित्त
				मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुक्षण की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुक्षण की राशि (लाख में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	NH 57 Shastri Chowk To Simrit Village Road		0.600	39.44700	0.00	39.44700	39.44676	0.00	31.12.2024	39.44676	कार्य पूरा		
2	NH-57 To Virhad Ashray Gnth	विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, का पत्रांक-मु०३१०(३०८०)-४५१५-०१-९७ / २०२५ पार्ट-१-५६८ / पटना, दिनांक-१७.०३.२०२५	0.215	42.73600	0.00	42.73600	42.73559	0.00	31.12.2024	42.73559	कार्य पूरा		
3	Construction of Ramp/Approach Road for a - Helipad, b - VIP Parking, c - Platform for VIP Meeting		0.115	9.89900	0.00	9.89900	9.89850	0.00	10.01.2025	9.89850	कार्य पूरा		
कुल अधियाचित राशि											92.08085	लाख	

10/01/2025

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

२०२५-२६

२०२५-२६

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-97 / 2025 पार्ट-1 -568 / पटना, दिनांक-17-03-2025

प्रेषक, **उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0र0**
विशेष सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन कुल 17 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ-6 में अंकित लम्बाई (कि0मी0) एवं स्तम्भ-8 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि **रु0 860.06700 लाख रुपये** मात्र है, पर (कुल 17 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

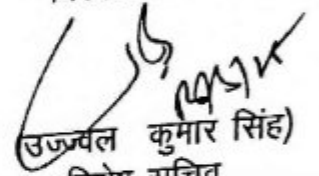
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन कुल 17 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 08 में अंकित कुल राशि 860.06700 लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Sl. No.	District	Division	Block	Name of Road	बिभागीय रूप से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि0मी0)	Cost. Of Upgradation/ Strengthening with surface (in Lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nawada	Rajauli	Govindpur	Thali To Kakolat	0.222	16.59500	16.59500
2	Nawada	Nawada	Kawakol	Construction of Approach Road of Kadhar Bridge	0.405	52.02800	52.02800
3	Bhojpur	Ara	Koilwar	PWD Rajapur Path Se High School Tak	0.800	49.32200	49.32200
4	Bhojpur	Ara	Koilwar	High School Se Rajapur Gaon and Rajapur Pokhara Tak	0.600	42.49500	42.49500
5	Patna	Danapur	Phulwarisarif	NH 83 To Mahuli Railway Halt Via Mahuli Village (Part I)	0.500	28.70800	28.70800
6	Saran	Chapra-1	Garkha	Mahmada To Larpur (Near Bridge)	1.450	46.493	46.493
7	Jehanabad	Jehanabad	Ghoshi	Kajisaray To Sahobigha	3.520	262.481	262.481
8	Darbhanga	Darbhanga-2	Singhwara	NH 57 to Vrthad Ashray Grih	0.215	42.73600	42.73600
9	Darbhanga	Darbhanga-2	Singhwara	NH 57 Shastri Chowk to Simi Village Road	0.600	39.44700	39.44700
10	Darbhanga	Darbhanga-2	Singhwara	Construction of Ramp/ Approach Road for, A-Helipad, B-Vip Parkin, C-Platform for VIP Meeting	0.115	9.89900	9.89900
11	Saran	Chapra-1	Chapra Sadar	Approach Road Near Sadar Block	0.085	12.84900	12.84900
12	Saran	Chapra-1	Chapra	Hawai Adda to PWD Road	0.259	22.12000	22.12000
13	Siwan	Siwan-1	Pachrukhi	Siwan Tarwara NH Path to Papaup Se papaur Panchayat Sarkar Bhawan tak	2.500	64.33400	64.33400
14	Siwan	Siwan-1	Pachrukhi	Pachrukhi Bypass Path NH 85 to Mullupur tak	1.100	26.52300	26.52300
15	Madhubani	Phulparas	Khutouni (Laukaha)	Durgipatti (Bijli Mandal Ka Ghar) To Hudra Harijan Tola	3.145	112.14100	112.14100
16	Nawada	Rajauli	Rohi	Rohi Sur Road To Kutaiya	0.760	22.52700	22.52700
17	Nawada	Nawada	Nawada Sadar	Nawada Main Road To ITI NH-20	0.540	9.36900	9.36900
				TOTAL	16.816		860.06700

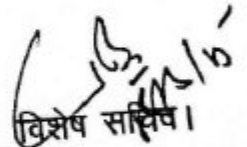
2. मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्यशीर्ष - 00, लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष - 0107- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जाति), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 37-4515-00-789-0107, बजट उपबंध-700 करोड़ रु0 का बजट उपबंध प्राप्त है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक- 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 14 के अनुसार प्राप्त बजट के तीन गुणा राशि में से पूर्व के दायित्व के राशि को घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति दी जा सकती है।
3. संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
4. सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-97/2025 पार्ट-I में दिनांक 25.02.2025 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कराये गये कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-97/2025 पार्ट-I में प्राप्त है।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा।
17. योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे। वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 पार्ट-I के पृ०-04 / टि० पर दिनांक-07.03.2025 को प्राप्त है।

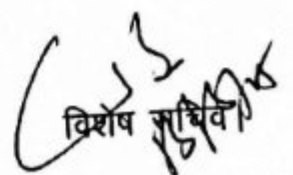
विश्वासभाजन


उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 पार्ट-I-568 / पटना, दिनांक- 17.03.2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव।

ज्ञापांक- मु०अ० (अ०उ०)-4515-01-97/2025 पार्ट-I-568 / पटना, दिनांक- 17.03.2025
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव